न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थित– मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)
विशेष फौजदारी वाद सं०–25/2020
सरकार बनाम मोहन लाल

UPSD010001472020

मु०अ०सं०–––359/201
धारा–138(1) B भा०वि०अधि०
थाना– बांसी
जनपद– सिद्धार्थनगर

दिनांक–14.03.2026(राष्ट्रीय लोक अदालत)

1. पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त **मोहन लाल** मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आया तथा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसका कोई बकाया नहीं है। जिस कारण मुकदमे का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मुकदमा राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने की कृपा करें।

2. अभियुक्त के उक्त प्रार्थना पत्र पर विद्वान विशेष अधिवक्ता (विद्युत अधिनियम) श्री विनोद चौधरी के द्वारा अनापत्ति होने के आशय का पृष्ठांकन किया गया है।

3. सुना तथा पत्रावली एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में **अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड बांसी जनपद सिद्धार्थनगर** के द्वारा जारी पत्र दिनांक–**20.05.2025** का परिशीलन किया, जिसमें अधिशासी अभियंता उपरोक्त के द्वारा संबंधित थाने को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया है कि आरोपित व्यक्ति के द्वारा बकाया शमन शुल्क मु० **2,000**/–रुपये एवं राजस्व निर्धारण शुल्क मु० **12058**/–रुपये विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है तथा विद्युत विभाग की तरफ से प्रस्तुत प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उपरोक्त प्रपत्र को संबंधित अधिशासी अभियंता के द्वारा सत्यापित भी किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले में समान प्रकृति के किसी अन्य अपराध में विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत अभियुक्त की किसी पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। न्यायालय में उपस्थित विद्युत विभाग के विशेष अधिवक्ता के द्वारा भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अनापत्ति अंकित की गयी है।

5. उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा–152(2) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले में अभियुक्त **मोहन लाल** के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–14.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1
सिद्धार्थनगर।
J.O.CODE–UP 6336

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.14 16:30:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court